



भारत सरकार
भारत मौसम विज्ञान विभाग
मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक का कार्यालय
प्रादेशिक मौसम केंद्र, नागपुर
डॉ. बाबासाहेब आर्बेंडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतल नागपुर-440005
टेलीफोन-0712-2282398, मो. 9834629419
ई-मेल ddgmnagpur@gmail.com

मिसिल क्र. एक्सए -055/VOL-IX / 182

दिनांक - 28, जुलाई 2023

विषय:- प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के लिए विभागीय परिचयपत्र तैयार करने हेतु मुहरबंद निविदाएँ भेजने बाबत ।

प्रादेशिक मौसम केंद्र, डॉ. बाबासाहेब आर्बेंडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतल नागपुर में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के लिए विभागीय परिचयपत्र तैयार करने हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं।

आपकी निविदाएँ मुहरबंद लिफाफे में, "उपमहानिदेशक" कार्यालय, प्रादेशिक मौसम केंद्र, डॉ. बाबासाहेब आर्बेंडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतल, नागपुर-440005 पते पर इस कार्यालय को दिनांक 14.08.2023 तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिये, इसके बाद प्राप्त हुई निविदाएँ निरस्त मानी जाएगी ।

मुहरबंद निविदाओं के लिफाफों पर "प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के लिए विभागीय परिचयपत्र" यह लिखा होना अनिवार्य होगा । यह कार्यालय सुबह 09.30 से शाम 06.00 तक चालु रहता है ।

विभागीय परिचयपत्र का विवरण निम्ननुसार रहेगा ।

- 1) प्लास्टिक के विभागीय परिचयपत्र का आकार लगभग 8.5 सेमी X 5.5 सेमी व परत 1 mm की रहेगी ।
- 2) विभागीय परिचयपत्र कार्ड होल्डर के साथ सलग्न होगा ।
- 3) विभागीय परिचयपत्र गले में टाँगने वाली डोरी पर प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर यह मुद्रांकन रहेगा ।


(जी.एस. नगराले)

वैज्ञानिक-ई

कृते कार्यालय प्रमुख,
प्रादेशिक मौसम केंद्र, नागपुर

नियम एवं शर्तें

- 1) छपाई फर्म को छपाई कार्य करने का दो से तीन वर्षों का कम से कम अनुभव होना चाहिए।
- 2) परिचयपत्र की मुहरबंद निविदा में एक परिचयपत्र का दर देना होगा उसमें परिचयपत्र कार्ड होल्डर व गले की डोरी का दर कुल एकत्रित राशि सम्मिलित होगी।
- 3) निविदाएं में दर्शाये गए दर (Rate) कम से कम 360 दिनों के लिए वैध रहेंगे।
- 4) कार्यालय द्वारा कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 5) कार्यालय द्वारा अधिकारी / कर्मचारी के विभागीय परिचयपत्र प्रारूप जारी होने के 15 दिनों के भीतर विभागीय परिचयपत्र तैयार कर के कार्यालय को सौंपना होगा।
- 6) मुद्रित विभागीय परिचयपत्रों में यदि कुछ त्रुटियां हों तो उसे दुरुस्त कर नए परिचयपत्र देने होंगे।
- 7) नए विभागीय परिचयपत्र मुद्रित कर कार्यालय को प्राप्त होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। परिचयपत्र के बिल भुगतान हेतु बिल पर जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है।
- 8) डी डी जी एम, आर एम सी, नागपुर, किसी भी या सभी निविदाएं को बिना कोई कारण बताएं स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 9) किसी भी विवाद के मामले में डी डी जी एम, आर एम सी नागपुर का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा, मध्यस्थता का अधिकार नागपुर क्षेत्र में रहेगा।
- 10) डी डी जी एम, आर एम सी, नागपुर ही मध्यस्थ को नियुक्त करेगा।
- 11) किसी भी स्थिति में मूल्य भिन्नता स्वीकार नहीं की जायेगी।

प्रतिलिपि

- (1) नोटिस बोर्ड प्रादेशिक मौसम केंद्र, नागपुर


(जी.एस. नगराले)

वैज्ञानिक-ई

कृते कार्यालय प्रमुख,

प्रादेशिक मौसम केंद्र, नागपुर